न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 005/2009

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. श्रीमती सुनीता पत्नि श्री कमलसिंह जाति मीणा निवासी घरट तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 08.04.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 225/2008 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2009 के विरूद्ध दिनांक 13.03.2009 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया, रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा ग्राम घरट पटवार हल्का मोरस तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी ।। पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ए)/91 के तहत नोटिस जारी किया गया, उक्त नोटिस अपीलांट को तामिल हुआ। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना अपीलांट को वार्षिक लगान रूपये 1.50/– का 50 गुणा जुर्माना 75 रूपये लगाकर बेदखली का आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के जवाब का अवलोकन नहीं किया गया है और न ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलांट को जिरह का अवसर दिया गया। उक्त भूमि पर अतिक्रमण का तथ्य अंकित किया गया है जबकि मोवे पर अपीलांट के पति की जमीन आई हुई है एवं उस कब्जा मौजूद है। राजस्व विभाग ने अपने नक्शे को न तो तरमीम किया है और न हीं विवादित भूमि का सीमा ज्ञान किया है। अपीलांट की भूमि नियमन योग्य थी जिस हेतु नियमन कमेटी को नियमन हेतु सिफारिश करनी चाहिए थी [illegible] गया। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में अपीलांट को [illegible] गया है और न ही गवाह से जिरह का अवसर दिया गया है। अतः श्रीमान [illegible] है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में [illegible]कार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है। जो कानून

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल हुआ है, एवं उनके द्वारा उपस्थिति भी दी गई है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि बारानी II किस्म की है जो नियमों के तहत नियमन नही हो सकती है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड मे बारानी II दर्ज है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 90(ए)/91 के तहत अतिक्रमण का नोटिस जारी कर विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस उसे तारीख पेशी से पूर्व तामिल हो चुका था, अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे नोटिस जारी किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये है कतई मानने योग्य प्रतीत नही होता है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने पर उसकी उपस्थिति का कथन अंकित किया गया है ।

अपीलांट अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नही है कि दिनांक 17.02.2009 की पेशी को बिना किसी भी प्रकार की सुनवाई के निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि अपीलांट स्वयं व उनके अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है। भू-अभिलेख निरीक्षक पिण्डवाडा एवं हल्का पटवारी मोरस की मौका फर्द एवं नक्शा अनुसार अपीलांट द्वारा मौजा घरट के खसरा संख्या 487 जो बिलानाम भूमि है, जिस पर होटल के रूप मे निर्माण कार्य किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अपीलांट का मौके पर अतिक्रमण है। अतः यह न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे हस्तक्षेप करना उचित नही मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner